न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-40RAAJodhpur2022-24RTA225 Smt. Ketudevi ors Vs Sujaram etc

01. श्रीमती केतुदेवी पत्नी स्व. बिड़दाराम
02. बुधाराम पुत्र बिड़दाराम
    जातियान् जाट, निवासीगण– गांव देदीपानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. सुजाराम पुत्र उमाराम, जाति जाट, निवासी– गांव देदीपानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

(प्रार्थी)

02. प्रेमाराम पुत्र उमाराम
03. बाबुराम पुत्र उमाराम
04. हिराराम पुत्र देरामराम
05. अर्जुनराम पुत्र देरामराम
06. भलाराम पुत्र मंगलाराम
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण– गांव देदीपानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।
07. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 05 जनवरी 2022 सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 138/2021 सुजाराम बनाम प्रेमाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 07

नि र्ण य

दिनांक : 27 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 138/2021 अनवान सुजाराम बनाम प्रेमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 जनवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 463, 504, 568, 573,574, 575 व 576 ग्राम देदीपानाडा तहसील जोधपुर के संबंध में धारा 83 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जनवरी 2021 के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.12.2021 को दर्ज रजिस्टर कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार कर अप्रार्थीगण के सम्मन जारी किये जाने का आदेश पारित कर आगामी पेशी दिनांक 17. 01.2022 मुकर्रर की। विचारण न्यायालय द्वारा नियत पेशी से पूर्व ही मामले में दिनांक 05.01.12022 को एकतरफा स्थगन आदेश पारित कर दिया। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। पारिवारिक बंटवाड़ा समझौता दिनांक 30.04.2020 की पालना में रेस्पो. सुजाराम ने अपना मकान निर्माण करवा दिया है, अब अपीलांट के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने रहें मकान में अड़चन पैदा करने व ब्लैकमेल करने की मंशा से एकतरफा स्थगन हासिल कर लिया है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा कथन किया गया है कि सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है और मौके पर अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज है। रेस्पोडेंट संख्या एक अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के मकान निर्माण में व्यधान पैदा कर रहा है। इसलिए अपीलांट को अपूरणीय क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जनवरी 2022 को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 463, 504, 568, 573, 574, 575 व 576 ग्राम देदीपानाडा तहसील जोधपुर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध लिखा–पढी दिनांक 30.04.2020 के अनुसार प्रथमदृष्टया पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का राजीखुशी बंटवाड़ा किया जाना प्रतीत होता है। रेस्पोडेंटस संख्या एक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पद संख्या 2 में अभिवचन किया है कि सभी खातेदारान् अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा मौके पर अपने–अपने बंट की भूमि पर काबिज है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस दस्तावेज के अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि–विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा मामले के अंतिम निस्तारण हेतु प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 138/2021 अनवान सुजाराम बनाम प्रेमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 जनवरी 2022 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

युक्तियुक्त अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर